भाकृअनुप- भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान
ICAR - Indian Institute of Soil and Water Conservation
(Deptt. Agril. Res. & Edu., Min. of Agri. & Farmers Welfare, Govt. of India)
Research Centre, Sector 27A, Madhya Marg, Chandigarh – 160019

पत्रांक 7(10)/2025-26/भण्डार/चंडी/ 342 दिनांक: 09.09.2025

नीलामी सूचना/ Auction Notice

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भाकृअनुप-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान फार्म निकट मनसा देवी, सेक्टर-4, पंचकुला पर **लगभग पाँच एकड़ क्षेत्रफल में तैयार मक्का की खडी फसल की नीलामी** खुली बोली के माध्यम से **दिनांक 19.09.2025** को सुवह 11:00 बजे की जाएगी। इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे बोली लगाने से पहले किसी भी समय फसल को देख सकते हैं। / It is hereby informed to the general public that the standing maize crop, prepared over about five acres of land at the Research Farm of ICAR-Indian Institute of Soil & Water Conservation, near Mansa Devi, Sector-4, Panchkula, will be auctioned through open bidding on 19.09.2025 at 11:00 AM. Interested bidders are requested that they may inspect the crop at any time before bidding.

आवश्यक नियम एंव शर्तें

1. केन्द्र के अनुसंधान फार्म प्रक्षेत्र निकट मनसा देवी पंचकूला पर गठित समिति द्वारा मक्का की 5.0 एकड एरिया की नीलामी खुली बोली के माध्यम से दिनांक 19.09.2025 को 11:00 बजे निष्पादित की जाएगी।
2. उपरयुक्त मक्का की खड़ी फसल की नीलामी समयावधि दो माह तक वैध होगी।
3. इच्छुक बोलीदाता को उक्त नीलामी में भाग लेने हेतू नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व प्रातः 10:00 बजे से 11:00 बजे तक अपना पंजीयन कराना होगा।
4. बोलीदाता की पंजीयन राशि रू. 2,000/- होगी जो कि पंजीयन के समय बोलीदाता को डी.डी/बैंकर्स चैक/ए.टी.एम के माध्यम से जो कि Head, CS&WCRTI, RC, Chandigarh के पक्ष में देय हो के द्वारा जमा करानी होगी।
5. बोलीदाता को अपना बैंक खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी कोड, बैंक का नाम, अपना पैन नं. व आधार नं. की प्रति पंजीयन के समय संस्थान कार्यालय के सम्बन्धित अधिकारी को जमा करानी होगी।
6. सफल/उच्चतम बोलीदाता को कुल नीलामी राशि का 25 प्रतिशत राशि नीलामी छूटने के बाद (एक दिवस/24 घण्टे) की समयावधि के अन्दर डी.डी/बैंकर्स चैक/ए.टी.एम के माध्यम से जमा करानी होगी। ऐसा नही किए जाने पर नीलामी की पंजीयन/धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी जिसके लिए बोलीदाता स्वंय जिम्मेवार होगा। ऐसी स्थिति में उक्त नीलामी को दूसरे नंबर के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में नीलामी स्वीकृत करने अथवा उक्त नीलामी को रद्द किए जाने का अधिकार केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष के पास सुरक्षित होगा।
7. सफल बोलीदाता के अलावा अन्य बोलीदाताओं द्वारा जमा कराई गई पंजीयन/धरोहर राशि उन्हें यथास्थान नीलामी कार्यवाही पूर्ण होने के तुरन्त बाद वापिस कर दी जाएगी।
8. सफल बोलीदाता को नीलामी आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर नीलामी की बकाया 75 प्रतिशत राशि केन्द्र में जमा करानी होगी इसके बाद ही बोलीदाता को मक्का तोड़ने या काटने की अनुमति दी जाएगी। निश्चित समयावधि में नीलामी की बकाया 75 प्रतिशत राशि जमा नही कराए जाने की स्थिति में सफ़ल बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई नीलामी की 25 प्रतिशत राशि जब्त कर ली जाएगी तथा नीलामी निरस्त कर दी जाएगी जिसके लिए बोलीदाता स्वंय जिम्मेवार होगा।
9. इस नीलामी को स्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का अधिकार केन्द्राध्यक्ष महोदय के पास सुरक्षित होगा।
10. सफल बोलीदाता द्वारा लगाए गऐ कर्मचारियों के पहचान पत्र केन्द्र को उपलब्ध कराने होगें तथा यदि ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा संस्थान की किसी भी सम्पति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाता

है तब ऐसी स्थिति में केन्द्र के केन्द्र अध्यक्ष द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट में अनुसंशा की गयी नुकसान की पूर्ण राशि ठेकेदार को आदेश प्राप्ति के 3 दिन के अन्दर केन्द्र में जमा करानी होगी। ऐसा नही किये जाने पर सम्बन्धित ठेकेदार को मक्का की कटाई की अनुमति नही दी जायेगी अथवा ठेके को निरस्त किये जाने की कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु संस्थान स्वतन्त्र होगा। इस सन्दर्भ में ठेकेदार द्वारा उक्त स्थिति में लगायी गयी किसी भी प्रकार की लागत के भुगतान हेतु संस्थान जिम्मेवार नही होगा तथा ठेके के सन्दर्भ में ठेकेदार द्वारा जमा करायी गयी ठेके की सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी जिसके लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।

11. ठेका छुटने पर मक्का की फसल की देखभाल, स्प्रे करना इत्यादि ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।
12. नीलामी स्वीकृत किए जाने के बाद मक्का की फसल की देख रेख-व चैकीदारी की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
13. प्राकृतिक आपदा से हुआ नुकसान के लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा।
14. ठेका छूटने के बाद कार्यालय के द्वारा किसी भी प्रकार की कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर कीटनाशक दवाईया ठेकेदार को स्वंय खरीदनी होगी। तथा कौन से कीटनाशक की जरूरत होगी, इनकी जानकारी विशेषज्ञ द्वारा दी जाएगी। दवाईयों के स्प्रे अपने कर्मचारियों द्वारा करवाये जाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
15. फसल की कटाई के उपरान्त व कार्यालय से बाहर ले जाने का समय सुबह 9:30 से 5:00 बजे तक होगा।
16. मक्का के अतिरिक्त केन्द्र के किसी भी प्रकार के सामान को कार्यालय से बाहर ले जाना निषेध होगा। यदि ऐसा पाया गया तो वह सरकारी सम्पति की चोरी मानी जाएगी जिसके लिए केन्द्र ठेकेदार के विरूद्ध कानूनी कार्यावाही किए जाने के लिए स्वतंत्र होगा तथा ऐसी स्थिति में केन्द्राध्यक्ष को यह भी शक्ति प्राप्त होगी कि वह तुरन्त प्रभाव से ठेकेदार का नीलामी ठेका रद्द करते हुए ठेके के अन्तर्गत जमा कराई सम्पूर्ण राशि को जब्त कर लिया जाए जिसके लिए ठेकेदार स्वंय जिम्मेवार होगा।
17. ठेकेदार को नीलामी की सभी नियम व शर्तों का कडाई से पालन करना होगा। ठेके के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर ठेका निरस्त कर दिया जाएगा तथा इस ठेके के सन्दर्भ में जमा कराई गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी।
18. ठेकेदार को ठेका आवंटन के बाद मक्का की कटाई के बाद फार्म का क्षेत्र तुरन्त खाली करना होगा। ऐसा न करने पर ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।
19. इस नीलामी को स्वीकृत करने/रद्द करने के पूर्ण अधिकार केन्द्राध्यक्ष के पास सुरक्षित होंगे।
20. नीलामी ठेके के सन्दर्भ में यदि ठेकेदार एंव केन्द्र के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में उस विवाद का निवारण आपसी बातचीत द्वारा पूर्ण किया जाएगा। यदि आपसी बातचीत से उसका निवारण नही होता है तब ऐसी स्थिति में विवाद को संस्थान के निदेशक, मुख्यालय देहरादून को निवारण हेतू प्रस्ताव भेजा जाएगा तथा संस्थान के निदेशक महोदय का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
21. ठेके से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के लिए चण्डीगढ़ न्यायालय ही मान्य होगा।

भवदीय,

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपिः-

1. संस्थान की वैबसाइट
2. नोटिस बोर्ड, चण्डीगढ़ कार्यालय
3. नोटिस बोर्ड, चण्डीगढ अनुसंधान प्रक्षेत्र कार्यालय
4. नोटिस बोर्ड, फल एंव सब्जी मंडी चण्डीगढ़